The Uttar Pradesh Gunda Niyantran Adhiniyam, 1970

Act 8 of 1971

Keyword(s):
District Magistrate, Gunda

Amendments appended: 1 of 1985, 13 of 2016

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

L.H. 13/11-6
cop. 2

135491

विधान पुस्तकालय
(राजकीय प्रकाशन)
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8, 1971)

(उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 15 दिसम्बर, 1970 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 24 दिसम्बर, 1970 ई० की बैठक में स्वीकृत किया ।)

('भारत का संविधान' के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 13 जनवरी, 1971 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 18 जनवरी, 1971 ई० को प्रकाशित हुआ ।)

सार्वजनिक व्यवस्था बनाये रखने के उद्देश्य से गुंडों पर नियंत्रण करने और उनको दबाने के निमित्त विशेष व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणतंत्र के इक्कीसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:—

संक्षिप्त नाम तथा प्रसार

1—(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम, 1970' कहलायेगा ।

(2) इसका प्रसार सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में होगा ।

परिभाषायें

2—जब तक कि प्रसंग द्वारा अन्यथा अपेक्षित न हो, इस अधिनियम में—

(क) "जिला मजिस्ट्रेट" के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा तदर्थ अधिकृत कोई अपर जिला मजिस्ट्रेट भी है;

(ख) "गुंडा" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है—

अधिनियम सं० 5, 1898

(1) जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यस्ततः भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध करता है, या करने का प्रयास करता है, या करने के लिये दुष्प्रेरित करता है, या

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिए कृपया दिनांक 15 मई, 1970 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिये ।)

[Price 05 Paise

(2) जो सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन एण्ड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन सिद्धदोष ठहराया गया हो, या

(3) जो यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन कम से कम तीन बार सिद्धदोष ठहराया गया हो; या

(4) जिसकी सामान्य ख्याति दुःसाहसिक और समुदाय के लिये खतरनाक व्यक्ति होने की हो ।

गुंडों का बहिष्कार इत्यादि

3—(1) यदि जिला मजिस्ट्रेट को यह प्रतीत हो कि—

(क) कोई व्यक्ति गुण्डा है; और

(ख) (i) जिले या उसके किसी भाग में उसकी गतिविधियां या कार्य व्यक्तियों की जान या सम्पत्ति के लिये संत्रास, संकट या अपहानि करते हैं या करने के लिये आयोजित हैं, या

अधिनियम सं० 104, 1956 उत्तर प्रदेश अधिनियम सं० 6, 1910

(ii) ऐसा विश्वास करने का उचित कारण है कि वह जिले या उसके किसी भाग में, भारतीय दंड संहिता के अध्याय 16, अध्याय 17, या अध्याय 22 के अधीन या दि सप्रेशन आफ इम्मारल ट्रैफिक इन वीमेन ऐंड गर्ल्स ऐक्ट, 1956 के अधीन या यू० पी० एक्साइज ऐक्ट, 1910 के अधीन दंडनीय किसी अपराध को करने में अथवा किसी ऐसे अपराध के दुष्प्रेरण में लगा है या लगने वाला है, और

(ग) साक्षीगण अपनी जान या सम्पत्ति के क्षेम के संबंध में अपनी आशंका के कारण उसके विरुद्ध साक्ष्य देने को तैयार नहीं हैं;

तो जिला मजिस्ट्रेट उस व्यक्ति को लिखित नोटिस द्वारा खंड (क), (ख) और (ग) के संबंध में उसके विरुद्ध सारवान आरोपों की सामान्य प्रकृति की सूचना देगा, और उसको उनके विरुद्ध स्पष्टीकरण देने का समुचित अवसर देगा ।

(2) उस व्यक्ति को, जिसके विरुद्ध इस धारा के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, अपनी पसंद के वकील से परामर्श करने और उसके द्वारा प्रतिरक्षित किये जाने का अधिकार होगा तथा, जब तक जिला मजिस्ट्रेट द्वारा अभिलिखित किये जाने वाले कारणों से उनकी राय में उसकी तदर्थ प्रार्थना परेशान या बिलम्ब करने के प्रयोजन से न की गई हो, उसे, यदि वह ऐसा चाहे, स्वयं परीक्षित होने का और ऐसे अन्य किन्हीं साक्षियों को भी जिन्हें वह अपने स्पष्टीकरण के समर्थन में पेश करना चाहे, परीक्षित करने का समुचित अवसर दिया जायेगा ।

(3) तदुपरांत जिला मजिस्ट्रेट अपना यह समाधान करने पर कि उपधारा (1) के खंड (क), (ख) और (ग) में उल्लिखित शर्तें विद्यमान हैं, लिखित आदेश द्वारा—

(क) उसे यह निदेश दे सकता है कि वह ऐसे मार्ग से, यदि कोई निर्दिष्ट किया जाय, और ऐसे समय के भीतर, जैसा आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, जिले या, यथास्थिति, उसके भाग से स्वयं बाहर चला जाये और जिले या उसके निर्दिष्ट भाग में तब तक प्रवेश न करे जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ;

(ख) (1) ऐसे व्यक्ति से, ऐसी रीति से, ऐसे समय पर और ऐसे प्राधिकारी या व्यक्ति को, जो आदेश में निर्दिष्ट किया जाये, अपनी गतिविधि की सूचना देने, या स्वयं उपस्थित होने, अथवा दोनों कार्य करने की तब तक के लिये अपेक्षा कर सकता है;

(2) उसके द्वारा किसी ऐसी वस्तु को, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, कब्जे में रखने या उसको प्रयोग करने से तब तक के लिये प्रतिषिद्ध या निर्बन्धित करने का;

(3) उसके द्वारा अन्यथा ऐसी रीति से, जैसी आदेश में निर्दिष्ट की जाय, आचरण करने का तब तक के लिये निदेश दे सकता है—

जब तक कि छः माह से अनधिक ऐसी अवधि जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त न हो जाये ।

अस्थायी अवधि के लिये वापस लौटने की अनुज्ञा

4—जिला मजिस्ट्रेट आदेश द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके संबंध में धारा 3 की उपधारा (3) के खंड (क) के अधीन आदेश दिया गया हो, अस्थायी अवधि के लिये उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का निदेश दिया गया था, ऐसी शर्तों पर, जिन्हें जिला मजिस्ट्रेट निर्दिष्ट करे, प्रवेश करने या वापस आने की अनुज्ञा दे सकता है, और किसी भी समय ऐसी किसी अनुज्ञा का निरसन कर सकता है ।

आदेश की अवधि में बढ़ोत्तरी

5—जिला मजिस्ट्रेट सम्बद्ध व्यक्ति को तदर्थ अभ्यावेदन करने का अवसर, जब तक कि ऐसे कारणों से जो अभिलिखित किये जायेंगे उनका यह समाधान न हो जाय कि ऐसा करना अव्यवहारिक होगा, देने के पश्चात् धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश में निर्दिष्ट अवधि को, सामान्य जनता के हित में समय-समय पर बढ़ा सकता है, किन्तु इस प्रकार बढ़ायी गयी अवधि किसी भी दशा में कुल मिलाकर दो वर्ष से अधिक न होगी।

अपील

6—(1) धारा 3, धारा 4 या धारा 5 के अधीन दिये गये किसी आदेश से क्षुब्ध कोई व्यक्ति ऐसे आदेश के दिनांक से पंद्रह दिन के भीतर आयुक्त के पास अपील कर सकता है।

(2) अपीलार्थी या उसके वकील को किसी ऐसे अभिलेख का जो धारा 3 के अधीन हुई जांच यदि कोई हुई हो, के समय उसे प्रकट न किया गया हो, निरीक्षण करने या उसके संबंध में सूचना दिये जाने का अधिकार न होगा।

(3) आयुक्त आदेश की, परिष्कार सहित अथवा रहित, पुष्टि कर सकता है या उसे रद्द कर सकता है, और अपील का निस्तारण होने तक आदेश के प्रवर्तन को, ऐसी शर्तों पर, यदि कोई हों, जिन्हें वह उचित समझे, स्थगित कर सकता है।

कतिपय प्रयोजनों के लिये मुचलके

7—(1) जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त—

(क) किसी ऐसे व्यक्ति, जिसके विरुद्ध धारा 3 के अधीन आदेश देने का प्रस्ताव हो, या आदेश दिया गया हो किन्तु ऐसे आदेश का प्रवर्तन धारा 6 के अधीन स्थगित कर दिया गया हो, की उपस्थिति सुनिश्चित करने, या

(ख) धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के संबंध में दिये गये आदेश में निर्दिष्ट किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त का यथोचित अनुपालन सुनिश्चित करने; के प्रयोजनार्थ, किसी ऐसे व्यक्ति से, प्रतिभूओं सहित या रहित, बन्धपत्र निष्पादित करने की अपेक्षा कर सकता है और दंड प्रक्रिया संहिता, 1898 के उपबन्ध ऐसे बन्धपत्र के संबंध में, आवश्यक परिवर्तनों के साथ, उसी प्रकार लागू होंगे, जिस प्रकार वह उक्त संहिता के अधीन निष्पादित या निष्पादित किये जाने के लिये अपेक्षित बन्धपत्र के संबंध में लागू होते हैं।

(2) विशेषत : और उपरोक्त उपबन्धों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना—

(क) जिला मजिस्ट्रेट धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन किसी व्यक्ति को नोटिस जारी करते समय उसकी गिरफ्तारी के लिये वारन्ट, जिसमें उक्त संहिता की धारा 76 के अनुसार पृष्ठांकित निदेश दिया गया हो, जारी कर सकता है, और उक्त संहिता की धारायें 75 से 92 तक के उपबन्ध जहां तक हो सके, ऐसे वारन्ट के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट न्यायालय हो,

(ख) यदि कोई व्यक्ति जिससे किसी निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निर्बंधन या शर्त के अनुपालन के लिये बन्ध-पत्र निष्पादित करने की अपेक्षा की गई हो, ऐसा करने में चूक करता है तो उसे उस कालावधि के लिये जिसके लिये उक्त निदेश, अपेक्षा, प्रतिषेध, निबंधन या शर्त की प्रवृत्ति हो या उस कालावधि के भीतर जब तक कि वह, प्रतिभूओं सहित या रहित, यथास्थिति, आदेश के अनुसार बन्धपत्र निष्पादित नहीं करता, कारागार को सुपुर्द किया जायगा अथवा यदि वह पहले से ही कारागार में है तो वह कारागार में निरुद्ध रखा जायगा, व उक्त संहिता की धारायें 120 से 122 तक व 123-क, 124, 126 व 126-क के उपबन्ध आवश्यक परिवर्तनों के साथ उस पर लागू होंगे मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों,

(ग) उक्त संहिता की धारायें 513, 514 व 514-क, इस धारा के अधीन निष्पादित सभी बन्ध-पत्रों के संबंध में आवश्यक परिवर्तनों के साथ उसी प्रकार लागू होंगी मानो जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त न्यायालय हों।

साक्ष्य की प्रकृति

8—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त अपना यह समाधान करने के प्रयोजनार्थ कि धारा 3 या धारा 5 के अधीन आदेश दिये जाने के लिये आवश्यक शर्तें विद्यमान हैं या नहीं, किसी ऐसे साक्ष्य पर विचार कर सकता है जिसे वह प्रमाणक मूल्य का समझे, तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के उपबन्ध लागू नहीं होंगे।

आदेश का निरसन

9—जिला मजिस्ट्रेट या आयुक्त किसी भी समय धारा 3 के अधीन दिये गये आदेश का, चाहे उस आदेश की धारा 6 के अधीन पुष्टि की गयी हो या नहीं, निरसन कर सकता है।

धारा 3 से 6 के अधीन आदेशों का उल्लंघन करने के लिये दंड

10—जो व्यक्ति धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन दिये गये आदेशों का उल्लंघन करे, वह कठिन कारावास से, जो तीन वर्ष तक का हो सकता है किन्तु 6 माह से कम नहीं होगा, दंडित किया जायेगा और जुर्माने का भी भागी होगा ।

बहिष्कासित गुन्डे द्वारा आदेश का उल्लंघन करते हुये पुनः प्रवेश आदि पर उसका बल प्रयोग द्वारा हटाया जाना

11—(1) यदि धारा 3, धारा 4, धारा 5 या धारा 6 के अधीन किसी व्यक्ति के विरुद्ध आदेश दिये जाने के पश्चात् ऐसा व्यक्ति—

(क) आदेश द्वारा दिये गये निदेश के अनुसार जिले या उसके भाग से अपने को हटाने में चूक करता है; या

(ख) उक्त आदेश के प्रवर्तन की अवधि में, उस क्षेत्र में, जहां से उसे हटने का आदेश दिया गया था, पुनः प्रवेश करता है ;

तो जिला मजिस्ट्रेट उसे गिरफ्तार करा सकता है और पुलिस की अभिरक्षा में उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर किसी ऐसे स्थान के लिये जैसा वह निदेश दे हटवा सकता है ।

(2) कोई पुलिस अधिकारी किसी ऐसे व्यक्ति को, जिसके प्रति उपधारा (1) में निर्दिष्ट कोई कार्य या चूक करने के लिये युक्तियुक्त संदेह हो, बिना वारंट गिरफ्तार कर सकता है, और इस प्रकार गिरफ्तार किये गये व्यक्ति को तुरन्त निकटतम मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करेगा जो उसे जिला मजिस्ट्रेट के पास अग्रसारित करायेगा जो तदुपरान्त उस व्यक्ति को उक्त आदेश में निर्दिष्ट क्षेत्र के बाहर ऐसे स्थान के लिये, जैसा वह निदेश दे, पुलिस अभिरक्षा में हटवा सकेगा ।

(3) इस धारा के उपबन्ध धारा 10 के उपबन्धों के अतिरिक्त हैं और उनके प्रभाव को कम नहीं करते ।

अपराध का संज्ञान

12—कोई मजिस्ट्रेट धारा 10 के अधीन दंडनीय किसी अपराध का सिवाय—

(क) ऐसे तथ्यों की जिनसे ऐसा अपराध गठित होता हो, किसी पुलिस आफिसर द्वारा की गई लिखित रिपोर्ट पर; या

(ख) पुलिस आफिसर से भिन्न किसी व्यक्ति से प्राप्त इत्तिला पर या अपने इस ज्ञान या संदेह पर कि ऐसा अपराध किया गया है;

संज्ञान नहीं करेगा ।

आदेशों के संबंध में अपवाद

13—इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन प्रदत्त किसी शक्ति का प्रयोग करके दिये गये किसी आदेश पर किसी न्यायालय में कोई आपत्ति नहीं की जायगी ।

अधिनियम के अधीन किये गये कार्य के लिये संरक्षण

14—(1) किसी व्यक्ति के विरुद्ध किसी ऐसे कार्य के लिये, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से किया गया हो, या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो कोई वाद, अभियोग या अन्य विविध कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

(2) राज्य सरकार के विरुद्ध किसी ऐसी बात से, जो इस अधिनियम या तद्धीन दिये गये किसी आदेश के अनुसरण में सद्भावना से की गयी हो या किये जाने के लिये अभिप्रेत हो, हुयी या सम्भावित क्षति के लिये कोई वाद या अन्य विधिक कार्यवाही नहीं की जा सकेगी ।

नियम बनाने का अधिकार

15—(1) राज्य सरकार, गजट में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिये नियम बना सकती है ।

(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम, बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, राज्य विधान मंडल के प्रत्येक सदन के समक्ष, जब उसका सत्र हो रहा हो, उसके एक सत्र या एकाधिक अनुक्रमिक सत्रों में कम से कम कुल चौदह दिन की अवधि पर्यन्त रखे जायेंगे, और जब तक कि कोई वाद का दिनांक निर्धारित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से, ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए, प्रभावी होंगे, जो विधान मंडल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिये सहमत हों किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन [सम्बद्ध नियमों के] उनके अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा ।

निरसन

16—उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अध्यादेश, 1970 एतद्द्वारा निरस्त किया जाता है ।

उ०प्र० अध्या० देश सं० 15, 1970

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 339 जनरल (लेग०) 1971—1,830 (मे०) ।

No. 80(2)/XVII-V-1—171-1981
Dated Lucknow, March 18, 1985

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 1983 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 1 of 1985) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on Decmber 29, 1984 :

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 1983

[U. P. Act no. 1 of 1985]

(*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*)

AN
ACT

to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970

It is hereby enacted in the Thirty-fourth Year of the Republic of India as follows :

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 1983. **Short title**

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, *for* clause (*b*), the following clause shall be *subtituted*, namely:— **Amendment of section 2 of U.P. Act 8 of 1971**

"(*b*) 'Goonda' means a person who—

(i) either by himself or as a member or leader of a gang, habitually commits or attempts to commit, or abets the commission of an offence punishable under section 153 or section 153-B or section 294 of the Indian Penal Code or Chapter XV, Chapter XVI, Chapter XVII or Chapter XXII of the said Code; or

(ii) has been convicted for an offence punishable under the Supperssion of Immoral Traffic in Women and Girls Act, 1956 ; or

(iii) has been convicted not less than thrice for an offence punishable under the U. P. Excise Act, 1910 or the Public Gambling Act, 1867 or section 25, section 27 or section 29 of the Arms Act, 1959; or

(iv) is generally reputed to be a person who is desperate and dangerous to the community; or

(v) has been habitually passing indecent remarks or teasing women or girls; or

(vi) is a tout;

Explanation—'Tout' means a person who—

(*a*) accepts or obtains, or agrees to accept or attempts to obtain from any person for himself or for any other person, any gratification whatever as a motive or reward for inducing, by corrupt or illegal means any public servant or member of Government, Parliament or of State Legislature, to do or forbear to do anything or to show favour or disfavour to any person or to render or attempt to render any service or disservice to any person, with the Central or State Government, Parliament or State Legislature, any local authority, corporation, Government Company or public servant; or

(*b*) procures, in consideration of any remuneration moving from any legal practitioner interested in any legal business, or proposes to any legal practitioner or to any person interested in legal business to procure, in consideration of any remuneration moving from either of them, the employment of legal practitioner in such business; or

(*c*) for the purposes mentioned in explanation (*a*) or (*b*), frequents the precincts of civil, criminal or revenue courts, revenue or other offices, residential colonies or residences or vicinity of the aforesaid or railway or bus stations, landing stages, lodging places or other places of public resort; or

(vii) is a house grabber.

Explanation—'House-grabber' means a person who takes or attempts to take or aids or abets in taking unauthorised possession or having lawfully entered unlawfully remains in possession, of a building including land, garden, garages or out-houses appurtenant to a building."

Amendment of section 3

3. In section 3 of the principal Act,—

(*a*) in sub-section (1), in clause (*b*), *for* sub-clause (ii) the following sub-clause shall be *substituted*, namely:—

"(ii) that there are reasonable grounds for believing that he is engaged or about to engage, in the district or any part thereof, in the commission of an offence referred to in sub-clauses (i) to (iii) of clause (*b*) of section 2, or in the abetment of any such offence; and"

(*b*) in sub-section 3, *for* clause (*a*), the following clause shall be *substituted*, namely :—

"(*a*) direct him to remove himself outside the area within the limits of his local jurisdiction or such area and any district or districts or any part thereof, contiguous thereto, by such route, if any, and within such time as may be specified in the order and to desist from entering the said area or the area and such contiguous district or districts or part thereof, as the case may be from which he was directed to remove himself until the expiry of such period not exceeding six months as may be specified in the said order;".

4. In section 7 of the principal Act,— Amendment of section 7

(*a*) in sub-section (1) *for* the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1898", the words and figures "Code of Criminal Procedure, 1973" shall be *substituted;*

(*b*) in sub-section (2),—

(i) in clause (*a*) *for* the word and figures "section 76" the word and figures "section 71", and for the words and figures "sections 75 to 92", the words and figures "sections 70 to 85 and 87 to 89" shall be *substituted;*

(ii) in clause (*b*), *for* the words and figures "sections 120 to 122, 123-A, 124, 126 and 126-A" the words and figures "sections 119 to 121, 123 and 124" shall be *substituted;*

(iii) in claues (*c*), *for* the words and figures "sections 513, 514 and 514-A" the words and figures "sections 445 to 447" shall be *substituted.*

By order,
B. L. LOOMBA,
Sachiv.

पी० एस० यू० पी०—ए० पी० 287 सा० (विधा०)—(4063)—1985—750 (मेके०)।

क्रम-संख्या-95

रजिस्ट्रेशन नम्बर–एस०एस०पी०/एल०–
डब्लू०/एन०पी०–91/2014–16
लाइसेन्स टू पोस्ट ऐट कन्सेशनल रेट

सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तर प्रदेश अधिनियम)

लखनऊ, सोमवार, 25 अप्रैल, 2016

बैशाख 5, 1938 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

विधायी अनुभाग–1

संख्या 692/79-वि-1–16-1(क)-2-2015
लखनऊ, 25 अप्रैल, 2016

अधिसूचना

विविध

"भारत का संविधान" के अनुच्छेद 201 के अधीन राष्ट्रपति महोदय ने उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2015 पर दिनांक 7 अप्रैल, 2016 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016 के रूप में सर्वसाधारण की सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015

(उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 13 सन् 2016)

[जैसा उत्तर प्रदेश विधान मण्डल द्वारा पारित हुआ]

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 का अग्रतर संशोधन करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के छियासठवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1-(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 2015 कहा जायेगा।

(2) यह 4 फरवरी, 2015 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971 की धारा 2 का संशोधन

2-उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, की धारा 2 में, खण्ड (ख) में, उपखण्ड (7) के पश्चात् निम्नलिखित उपखण्ड बढ़ा दिये जायेंगे, अर्थात :-

"(8) जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(9) जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

(10) गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

(11) वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।"

निरसन और अपवाद

3-(1) उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी मानो इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

उद्देश्य और कारण

उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण अधिनियम, 1970 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 सन् 1971) का अधिनियमन, राज्य में लोक व्यवस्था बनाये रखने के दृष्टिगत गुण्डा नियंत्रण और दमन हेतु विशेष उपबन्ध करने के लिये किया गया है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के लखनऊ खण्डपीठ, लखनऊ द्वारा वाद संख्या 2390/2012 मुशर्रफ अली पुत्र शौकत अली बनाम उत्तर प्रदेश राज्य में पारित अपने आदेश दिनांक 8 जनवरी, 2013 में निम्नलिखित अपराधों को भी उक्त अधिनियम की परिधि में लाने और उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे अपराधों में लिप्त व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करने के लिये निर्देश दिये गये हैं :-

1-जो साहूकारी विनियमन अधिनियम, 1976 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

2-जो विधिविरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1966 और भारतीय वन अधिनियम, 1927 के अधीन दण्डनीय अपराध में अन्तर्ग्रस्त हो;

3-गोवध निवारण अधिनियम, 1955 और पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम, 1960 में उपबन्धों के उल्लंघन में मवेशियों के अवैध परिवहन और/या तस्करी के कार्यों में अन्तर्ग्रस्त हो;

4-वाणिज्यिक शोषण, बलातश्रम, बंधुआ श्रम, बाल श्रम, यौन शोषण, अंग हटाने तथा दुर्व्यापार, भिक्षावृत्ति और इसी प्रकार के क्रियाकलापों के प्रयोजनों हेतु मानव दुर्व्यापार में अन्तर्ग्रस्त हो।

माननीय उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में यह विनिश्चय किया गया है कि उक्त अधिनियम को संशोधित करके शब्द "गुण्डा" की परिभाषा में उक्त अपराधों को भी सम्मिलित किया जाय।

चूँकि राज्य विधान मण्डल सत्र में नहीं था और उपर्युक्त विनिश्चय को कार्यान्वित करने के लिए तुरन्त विधायी कार्यवाही करना आवश्यक था, अतः राज्यपाल द्वारा दिनांक 4 फरवरी, 2015 को उत्तर प्रदेश गुण्डा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2015 (उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 2 सन् 2015) प्रख्यापित किया गया।

यह विधेयक उपर्युक्त अध्यादेश को प्रतिस्थापित करने के लिये पुरःस्थापित किया जाता है।

आज्ञा से,
अब्दुल शाहिद,
प्रमुख सचिव।

No. 692 (2)/LXXIX-V-1–16-1 (ka)-2-2015

Dated Lucknow, April 25, 2016

IN pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of the Uttar Pradesh Goonda Niyantran (Sanshodhan) Adhiniyam, 2015 (Uttar Pradesh Adhiniyam Sankhya 13 of 2016) as passed by the Uttar Pradesh Legislature and assented to by the President on April 7, 2016.

THE UTTAR PRADESH CONTROL OF GOONDAS (AMENDMENT) ACT, 2015

(U.P. Act No. 13 of 2016)

[*As passed by the Uttar Pradesh Legislature*]

AN

ACT

further to amend the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970.

IT IS HEREBY enacted in the Sixty-sixth Year of the Republic of India as follows:–

Short title and commencement

1. (1) This Act may be called the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Act, 2015.

(2) It shall be deemed to have come into force on February 4, 2015.

Amendment of section 2 of U.P. Act no. 8 of 1971

2. In section 2 of the Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970, hereinafter referred to as the principal Act, in clause (b) *after* sub-clause (vii) the following sub-clauses shall be *inserted,* namely :–

"(viii) is involved in offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

(ix) is involved in offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

(x) is involved in illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

(xi) is involved in human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities."

Repeal and saving

3. (1) The Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 is hereby repealed. U.P. Ordinance no. 2 of 2015

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the provisions of the principal Act as amended by the Ordinance referred to in sub-section (1) shall be deemed to have been done or taken under the corresponding provisions of the principal Act as amended by this Act as if the provisions of this Act were in force at all material times.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

The Uttar Pradesh Control of Goondas Act, 1970 (U.P. Act no. 8 of 1971) has been enacted to provide for making special provisions for the control and suppression of Goondas with a view to ensuring the maintenance of public order in the State. The High Court of Judicature at Allahabad, Lucknow Bench, Lucknow has in case no. 2390/2012 Mushrraf Ali, Son of Shaukat Ali *Versus* Uttar Pradesh State in their order dated January 8, 2013 suggested to bring the following offences in the ambit of the said Act and take action against the persons indulging in such offences under the said Act:–

1. offences punishable under the Regulation of Money Lending Act, 1976;

2. offences punishable under the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1966 and the Indian Forest Act, 1927;

3. illegally transporting and/or smuggling of cattle and indulging in acts in contravention of the provisions in the Prevention of Cow Slaughter Act, 1955 and the Prevention of Cruelty to Animals Act, 1960;

4. human trafficking for purposes of commercial exploitation, forced labour, bonded labour, child labour, sexual exploitation, organ removing and trafficking, beggary and the like activities.

With a view to complying with the said orders of the Hon'ble High Court it has been decided to amend the said Act to include the said offences in the definition of the word "Goondas".

Since the State Legislature was not in session and immediate legislative action was necessary to implement the aforesaid decision, the Uttar Pradesh Control of Goondas (Amendment) Ordinance, 2015 (U.P. Ordinance no. 2 of 2015) was promulgated by the Governor on February 4, 2015.

This Bill is introduced to replace the aforesaid Ordinance.

By order,

ABDUL SHAHID,

Pramukh Sachiv.

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 53 राजपत्र–(हिन्दी)–2016–(107)–599 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।

पी0एस0यू0पी0–ए0पी0 3 सा0 विधायी–26–04–2016–(108)–300 प्रतियां (कम्प्यूटर / टी0 / आफसेट)।